भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या †1374
दिनांक 11.02.2025 को उत्तरार्थ

स्वामित्व कार्यक्रम

†1374. डॉ. हेमंत विष्णु सवरा:
श्री आलोक शर्मा:
श्री पी.पी. चौधरी:
श्री लुम्बा राम:
श्री दामोदर अग्रवाल:
श्री मुकेश राजपूत:
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को उनके संपत्ति कार्ड के आधार पर आसानी से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कोई उपाय किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ड्रोन मैपिंग का कार्य 92 प्रतिशत पूरा होने के बाद सर्वेक्षण को अंतिम रूप देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा 2026 तक 3.44 लाख गांवों को कवर करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की क्या योजना है;

(ग) क्या 31 राज्य और संघ राज्यक्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ गांवों का सर्वेक्षण और मानचित्रण (स्वामित्व) कार्यक्रम में कवर कर लिए गए हैं तथा तेलंगाना, तमिलनाडु, सिक्कम और महाराष्ट्र जैसे राज्यों का केवल पायलट चरण में भाग लेने के क्या कारण हैं और इनके द्वारा योजना को पूरी तरह से नहीं अपनाने के क्या कारण हैं;

(घ) स्वामित्व योजना के अंतर्गत 3.44 लाख गांवों को पूर्ण रूप से कवर करने के लिए निर्धारित प्रमुख लक्ष्यों और समय-सीमा का महाराष्ट्र सहित राज्य और जिलावार ब्यौरा क्या है क्योंकि उक्त कार्यक्रम को 2026 तक पूरा किया जाना है;

(ङ) महाराष्ट्र के पालघर जिले में ड्रोन मैपिंग का कार्य पूरा होने, संपत्ति कार्ड जारी होने तथा किए गए सर्वेक्षण कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(च) तेलंगाना, तमिलनाडु, सिक्किम तथा महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों द्वारा स्वामित्व योजना को अभी तक पूरी तरह से न अपनाए जाने के क्या कारण हैं जो केवल पायलट चरण में भाग लिए है जबकि शेष इकतीस राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्र उक्त योजना में शामिल हो गए हैं?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रोफ. एस. पी. सिंह बघेल)

(क): स्वामित्व योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय संपत्ति के मालिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान करके संस्थागत ऋण/बैंक ऋण तक पहुँच की सुविधा प्रदान करना है, जो संबंधित कानूनों/नियमों के तहत कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हैं और ऋण हेतु संपत्ति को गिरवी रखने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। इसे बढ़ावा देने के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इन संपत्ति कार्डों को मान्यता देने और उनके बदले ऋण प्रदान करने के बारे में बैंकों को संवेदनशील बनाने हेतु एसएलबीसी की त्रैमासिक बैठक के एजेंडे में स्वामित्व योजना को शामिल करके राज्य-स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, जहाँ लाभार्थियों ने अपने संपत्ति कार्ड का उपयोग करके सफलतापूर्वक बैंक ऋण प्राप्त किया है।

(ख): पंचायती राज मंत्रालय ने स्वामित्व के कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से मार्च 2025 तक ड्रोन सर्वेक्षण पूरा करने और मार्च 2026 तक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रामीण आबादी क्षेत्रों के लिए संपत्ति कार्ड तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। इसे प्राप्त करने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के लिए उपलब्धि आधारित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो प्रगति के लिए एक रोडमैप प्रदान करते हैं। समस्याओं/मामलों की शीघ्र पहचान और उनके समाधान को सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। एक चार-स्तरीय निगरानी प्रणाली (राष्ट्रीय से पंचायत स्तर तक) व्यापक निगरानी सुनिश्चित करती है, जिसे एक ऑनलाइन डैशबोर्ड (www.svamitva.nic.in) द्वारा पूर्ण बनाया गया है, जो ग्रामीण स्तरीय प्रगति अपडेट प्रदान करता है। मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समर्पित "हैंडहोल्डिंग" सहायता भी प्रदान करता है।

(ग और च): अब तक, 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने स्वामित्व योजना को अपनाया है। महाराष्ट्र में, गौठान (आबादी क्षेत्र) वाले सभी राजस्व गांवों को कवर किया गया है। तमिलनाडु ने पहले से मौजूद नाथम क्षेत्र के रिकॉर्ड की सूचना दी है, जो बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए कानूनी वैधता रखते हैं और पायलट चरण में शामिल गांवों से आगे स्वामित्व योजना का विस्तार नहीं किया है। तेलंगाना ने पायलट चरण से आगे योजना का विस्तार नहीं करने का विकल्प चुना। सिक्किम ने पायलट चरण में भाग लिया है, लेकिन बाद में गांवों में अलग से "आबादी" क्षेत्र की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए योजना को केवल सीओआरएस नेटवर्क तक सीमित कर दिया।

(घ): स्वामित्व योजना का लक्ष्य 3.46 लाख आबाद ग्रामीण गांव (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित) हैं। वर्तमान में, 3.18 लाख गांवों (लक्ष्य का 92%) में ड्रोन उड़ाने का काम पूरा हो चुका है और 1.59 लाख से अधिक गांवों के लिए 2.38 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। लक्षित गांवों और प्रगति का राज्यवार विवरण अनुबंध में दिया गया है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, लद्दाख, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव एवं लक्षद्वीप में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। यह योजना हरियाणा, उत्तराखंड, पुडुचेरी, गोवा, त्रिपुरा एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पूरी कर ली गई है। मार्च 2026 तक योजना को पूरा करने के उद्देश्य से मार्च 2025 तक महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लक्षित जिलों/गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ङ.): महाराष्ट्र के पालघर जिले में 759 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और 431 गांवों में 49,028 संपत्ति कार्ड जारी किए गए हैं।

***

अनुबंध I

'स्वामित्व कार्यक्रम' के संबंध में दिनांक 11.02.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1374 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध ।

<u>ड्रोन उड़ान और संपत्ति कार्ड कवरेज का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण</u>

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**अधिसूचित गांव**	**ड्रोन उड़ान पूरी करने वाले गांव**	**गांव जिनके संपत्ति कार्ड तैयार किए गए**	**तैयार किये गये संपत्ति कार्डों की संख्या**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	186	186	141	7,409
2	आंध्र प्रदेश	13,321	13,321	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	5,596	3,399	0	0
4	असम	1,074	946	0	0
5	छत्तीसगढ	15,791	15,791	1,200	67,751
6	दादरा नगर हवेली और दमन दीव	80	80	75	4,397
7	दिल्ली	31	31	0	0
8	गोवा	410	410	410	6,72,646
9	गुजरात	15,052	13,949	7,237	12,28,586
10	हरियाणा	6,260	6,260	6,260	25,15,646
11	हिमाचल प्रदेश	15,196	13,870	238	5,395
12	जम्मू और कश्मीर	4,431	4,398	1,006	39,204
13	झारखंड	757	240	0	0
14	कर्नाटक	30,715	16,855	3,763	10,03,991
15	केरल	1,415	597	0	0
16	लद्दाख	230	230	148	15,623
17	लक्षद्वीप द्वीप समूह	10	10	0	0
18	मध्य प्रदेश	43,014	43,014	33,929	39,94,343
19	महाराष्ट्र	37,819	37,609	15,708	24,41,286
20	मणिपुर	3,856	209	0	0
21	मिजोरम	550	319	27	2,909
22	ओडिशा	3,054	2,724	43	1,500
23	पुदुचेरी	96	96	92	2,801
24	पंजाब	12,083	10,458	178	24,089
25	राजस्थान	36,352	35,721	13,310	8,61,986
26	सिक्किम	1	1	0	0
27	तमिलनाडु	3	3	0	0
28	तेलंगाना	5	5	0	0
29	त्रिपुरा	893	19	893	5,71,783
30	उत्तर प्रदेश	90,573	90,573	67,408	1,01,31,232
31	उत्तराखंड	7,441	7,441	7,441	2,78,229
	कुल	**3,46,183**	**3,18,765**	**1,59,507**	**2,38,70,806**

***